सुरक्षित गर्भसमापन सेवाओं की उपलब्धता और लिंग आधारित चयन - इनमे क्या सम्बन्ध है?

जीवन में आनंद की अनुभूति और इसका अनुभव कर पाना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है और हमारे शारीरिक व् मानसिक स्वास्थय के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अधिकाँश लोगों के व्यक्तिगत जीवन में यौनिकता, जीवन में आनन्द पाने का निहायत ही आवश्यक माध्यम होता है और इसी के चलते हम अपने जीवन के कुछ अहम फैसले भी करते हैं। संसार में प्रत्येक व्यक्ति की यौनिकता और सेक्स से जुडी अभिरुचियों में बहुत अंतर और विविधता हो सकती है। यह अभिरुचियाँ जीवन भर स्थायी नहीं रहती और इनमे लगतार बदलाव भी होता रहता है। यौन जीवन में इतनी विविधता होने के कारण ही संभवत: 2006 से लगातार विश्व स्वास्थय संगठन द्वारा इसे लगातार परिवर्तनीय कार्यकारी परिभाषा के रूप में अपनाया गया है।

अपनी यौनिकता को जानने, समझने और अनुभव करने का कोई एक निश्चित सही या गलत तरीका नहीं होता। मानवाधिकारों को सुरक्षित और अक्षुण रखने के लिए ज़रूरी है कि यौनिकता के विषय पर किसी भी चर्चा में हम सही या गलत तरीके का फैसला करने या किसी भी तरीके को कलंकित करने से बचें। इस विषय पर चर्चा में यौनिकता को अनुभव करने के हर तरीके और व्यवहार को हमें साथ लेकर चलना होगा। इस विचार को समझने पर हमें 2 बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त होते हैं : 1) यह ज़रूरी नहीं है कि यौन सम्बन्ध केवल विषमलैंगिक या विपरीत लिंग के 2 व्यक्तियों के बीच ही हों। समलैंगिक यौन सम्बन्ध भी होते हैं। 2) विपरीत लिंग के 2 व्यक्तियों के बीच यौन सम्बन्ध भी केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए नहीं किये जाते। यह भले ही सोचने में कितना ही अजीब क्यों न लगे, पर कल्पना कर देखिये कि अगर हर बार सेक्स करने का परिणाम गर्भधारण ही हो तो क्या होगा?

हमारी यौन रुचियाँ हमारे आसपास के परिवेश से प्रभावित होती हैं। इनका सीधा सम्बन्ध हमारे नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों कि स्थिति से भी होता है। जीवन की परिस्थितियों और हमें उपलब्ध संसाधनों पर भी हमारे यौन रुझान बहुत हद तक निर्भर करते हैं। लेकिन हमेशा सब कुछ हमारे चाहे अनुसार नहीं हो पाता। जीवन में अनेक सुखद व् दुखद क्षणों का हमें सामना करना पड़ता है, कभी दिल को ठेस लगती है, कभी न चाहते हुए भी अनचाहा गर्भ ठहर जाता है। वास्तविक जीवन की कुछ ऐसी ही स्थितियों को देखें :

1. सेक्स करते हुए मेरे बॉयफ्रेंड का कंडोम फट गया, इसलिए मुझे गर्भसमापन करवाना पड़ रहा है।
2. मेरी पहले ही 1 संतान है और मैं दुसरे बच्चे का खर्च नहीं उठा सकती।
3. मैं एक कामकाजी महिला हूँ और अपने करियर में इस समय बच्चे की देखभाल नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं गर्भसमापन कराना चाहती हूँ।
4. हमने संतान पैदा करने का सोचा था लेकिन अब अगले 2 साल तक मेरे पति इस शहर से बाहर रहने वाले हैं, इसलिए मुझे गर्भसमापन करवाना है।

5. मेरे गर्भवती हो जाने के कारण मेरे बॉयफ्रेंड नें मुझसे नाता तोड़ लिया है, इसलिए मैं गर्भसमापन चाहती हूँ।

6. मैं विवाह से पहले बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, हमारा समाज मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता।

अगर हम जीवन में अलग-अलग परिस्थितियों के बारे में 5 मिनट तक विचार करें तो पता चलेगा कि लोगों के जीवन में गर्भावस्था होने के कारण, परिणाम बहुत ही अलग हो सकते हैं चाहे यह गर्भधान अपनी इच्छा से हुआ हो या फिर इच्छा के बिना। सभी परिस्थितियों में से अगर हम गर्भसमापन की इच्छा रखने वालों को केंद्र में रखें, तो पता चलता है कि दुनिया में अनेक प्रकार के गर्भ निरोधकों की उपलब्धता होते हुए भी सुरक्षित गर्भसमापन सेवाओं का मिल पाना बहुत ज़रूरी है और यह कि लोक स्वास्थय सेवायों के अंतर्गत भी गर्भसमापन सेवाएं आसानी से उपलब्ध होनी चाहियें।

अब गर्भ में शिशु भ्रूण के लिंग के कारण उसे जन्म देने या गर्भसमापन करवाने पर विचार करें। भारत में गर्भसमापन के अधिकार और लिंग के आधार पर गर्भसमापन करवाने की घटनाओं में क्या सम्बन्ध हैं? मेरे विचार से, इन दोने के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि भारत में सुरक्षित गर्भसमापन तक पहुँच और इसकी उपलब्धता के बारे में प्रचलित अनेक मिथकों की बात करें तो हम पायेंगे कि इनमे यह मिथक सबसे ऊपर के स्थान पर है कि भारत में सभी गर्भसमापन लिंग आधार पर ही किये जाते हैं। इस तरह की विचारधारा से सुरक्षित गर्भसमापन चाहने वालों के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित होता है। यही कारण है कि गर्भसमापन चाहने वाले अधिकाँश लोग असुरक्षित गर्भसमापन करवाने के लिए मजबूर होते हैं। असुरक्षित गर्भसमापन से लोगों के स्वास्थय के लिए जटिल खतरा उत्पन्न हो जाता है और कभी-कभी तो असुरक्षित गर्भसमापन के कारण लोगों की जान भी चली जाती है।

ऐसे में इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? यह समाधान 2 तरीके से हो सकता है, पहले या तो इसके मूल कारणों पर सीधा प्रहार करके या फिर, दुसरे, असुरक्षित गर्भसमापन के लक्षणों के समाधान खोजकर। स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किये गए एक अध्यनन से पता चलता है कि भारत में हर वर्ष होने वाले सभी गर्भसमापन के मामलों में से लगभग 9% गर्भसमापन, गर्भ में भ्रूण के लिंग आधार पर करवाए जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि शेष 91% मामलों में गर्भस्थ भ्रूण के लिंग से इसका कोई सम्बन्ध नहीं होता और इनका कारण ऊपर बतायी गयी श्रेणियों में से किसी भी कारण से हो सकता है। इसी अध्यनन से हमें यह भी पता चलता है कि भारत में हर वर्ष होने वाले गर्भसमापन के मामलों में से 56% असुरक्षित तरीकों से किये जाते हैं और इन्ही 56% असुरक्षित गर्भसमापन तरीकों के कारण ही भारत में मात्रत्व के समय मृत्युदर का स्तर 8% हुआ है। कानूनी रूप से भी गर्भ के चिकित्सीय समापन कानून (MTP Act) में लिंग आधार पर गर्भसमापन का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसी तरह, प्रसव पूर्व लिंग जांच तकनीक अधिनियम (जो भारत में लिंग आधारित चयन के बारे में एकमात्र कानून है) में भी सुरक्षित गर्भसमापन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

इन आंकड़ों से हमें पता चलता है कि असुरक्षित गर्भसमापन के सम्बन्ध में भारत में वास्तविक स्थिति कितनी जटिल और संकटपूर्ण है। हमने यह भी जाना है कि भारत में गर्भसमापन के सभी या अधिकाँश मामलों में गर्भस्थ भ्रूण का लिंग ही एकमात्र आधार नहीं होता। फिर भी, भारत में इतनी बड़ी संख्या में महिलायें असुरक्षित गर्भसमापन के कारण अपनी जान जोखिम में डालती हैं। इनकी इस स्थिति से अगर हम कुछ समझ पाएं तो मेरा तो यही विचार है कि हमें सुरक्षित और सुलभता से उपलब्ध गर्भसमापन सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में अपने प्रयास तेज़ करने होंगे।

गर्भसमापन के सभी मामले केवल लिंग आधारित चयन से सम्बंधित नहीं होते। इस मिथक को आगे बढाने या खुद इसमें विश्वास कर हम केवल गर्भसमापन की इस प्रक्रिया और गर्भसमापन करवाने वालों को ही कलंकित नहीं करते बल्कि खुद भी उस कुचक्र का हिस्सा बन जाते हैं जो उनके स्वास्थय और जीवन को संकटपूर्ण बना देता है। आईये, हम मिल कर इस कलंक, भेदभाव, मान्यताओं, मिथकों, शर्म और डर के इस कुचक्र को तोड़ने का प्रयास करें। हमें चाहिए कि गर्भसमापन से जुड़े इस कलंक को दूर करें और गर्भसमापन चाहने वालों के लिए सुलभ स्वास्थय सेवाओं की उपलब्धता की पैरवी करें।

एक बार फिर - क्या सुरक्षित गर्भसमापन सेवाओं की उपलब्धता और लिंग आधार पर गर्भसमापन में कोई सम्बन्ध है? संभवत: नहीं।

crea
मुझे गर्भ समापन करवाना पड़ा क्योंकि
Y
मुझे संतान नहीं चाहिए
गर्भनिरोधक विफल हो गया
2 बच्चे ही काफी हैं
अभी मैं बच्चे का खर्च नहीं उठा सकती
गर्भ को जारी रखने से मेरी जान को खतरा होता
मैं आपको कारण बताना ज़रूरी नहीं समझती
#AbortTheStigma
normalizing conversations around abortion